3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन लोक निर्माण लेखा पद्धति के अनुसार कराया जाता है जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है तथा अन्य सामान्य वित्तीय प्रकरणों हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के नियमों का पालन किया जाता है। विभाग का अपना कोई विभागीय आयोजनार्गत बजट नहीं है अपितु विभिन्न विभागों एवं विधायक निधि, सम विकास योजना, पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि आदि से प्राप्त धनराशि से विभाग निर्माण एजेन्सी के रूप में डिपाजिट कार्यो को कराता है। निर्माण कार्यो के सम्पादन के संबंद्द में पी0डब्लू0डी0 शेड्यूल रेट्स के आधार पर कार्यो के प्राक्कलन स्वीकृत कर विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के साथ जी0पी0डब्लू0–9 पर अनुबन्ध करके कार्य कराये जाते है। रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत कार्य मस्टररोल पर कराये जाते हैं। अवर अभियन्ता कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर कार्यो की देखरेख करते हैं। सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है ताकि निर्माण कार्यो में समुचित गुणवत्ता बनी रहे है। कार्य का मापन अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में अंकित किया जाता है तथा सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर उसे पारित कर भुगतान किया जाता है। उच्च स्तर से परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा भी समय–समय पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। अधोमानक कार्य हेतु अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार होते हैं।